सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011
दिनांक: 16/8/ 2016

संख्या आरटीआई/7809/2016-पीएमआर

4921 14005/FS/16
17/8/16
23/08/16
15/09/2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री शुभम गुप्ता से प्राप्त दिनांक 3.8.2016 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 8.8.2016 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(प्रवीन कुमार)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
e-mail: rti-pmo.applications@gov.in
☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (स्पीड पोस्ट द्वारा)

श्री शुभम गुप्ता
पुत्र श्री शशिकांत गुप्ता
346, राम नगर, गली नं. 4
कंकरखेड़ा, मेरठ
उत्तर प्रदेश-250001

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

Please transfer to UNP Division
19/8

SL. Anuragi, ASO

US(R71)

विदेश मंत्रालय

(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

*****

सं: यू.II/551/25/2016 दिनांक: 31 अगस्त 2016

सेवा में,
श्री शुभम गुप्ता s/o श्री शशिकांत गुप्ता
346, राम नगर, गली नंबर 4
कंकरखेड़ा, मेरठ कैंट
उत्तर प्रदेश – 250001

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित व प्रधानमंत्री कार्यालय को संदर्भित आर टी आई प्रार्थना पत्र संख्या "शून्य" दिनांकित 3 अगस्त 2016 का संदर्भ लें, जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 18 अगस्त 2016 को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आर टी आई प्रार्थना पत्र में आपके द्वारा क्रमांक 1 और 2 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है:

" 1949 के लंदन घोषणापत्र के बाद से, जिससे वर्तमान राष्ट्रमण्डल की स्थापना हुई थी, भारत ने 53 स्वतंत्र एवं संप्रभु देशो के इस संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 1948 में भारत का स्वयं का निर्णय था कि एक नवीन गणतन्त्र के रूप में राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित हुआ जाए, इस निर्णय ने अनेक एशिया और अफ्रीका के देशों को राष्ट्रमण्डल में शामिल होने को प्रेरित किया।"

3. क्रमांक 3 और 5 पर मांगी गई जानकारी से संबन्धित सूचना इंटरनेट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध है: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Commonwealth.pdf

4. क्रमांक 4 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है:

"राष्ट्रमण्डल विभिन्न देशों के समूह जिनमे G-8 देश, प्रमुख विकासशील देश और कई विकासशील छोटे द्वीप राज्य भी शामिल हैं, को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार व्यक्त करने एवं परस्पर सहमति बनाने को एक मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कई राष्ट्रमण्डल देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी निवास करते हैं, जिनके हितों से संबन्धित मुद्दों पर वार्ता के लिए उन राष्ट्रमण्डल देशो से मित्रवत संबंध आवश्यक है।"

3. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबंधित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष सं: 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली- 110011, फोन: 011-49018413 व फैक्स: 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय

(अलियावती लोंगकुमर)
अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग
कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन,
विदेश मंत्रालय, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011
फोन: 011-49018416

प्रतिलिपि:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र संख्या आरटीआई/7809/2016-पीएमआर दिनांक 16 अगस्त 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. विदेश सचिव कार्यालय, विदेश मंत्रालय को उल्लिखित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

7809 11/8/16

RTI No - 02

पत्र संख्या - 02

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली।

7809/16

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

PRIME MINISTER'S OFFICE
08 AUG 2016
DAK SECTION

महोदय, कृपया निम्न सूचनाएँ देने की कृपा करें।

1. भारत राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा कब बना था।
2. क्या भारत अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बना था तथा किस तारीख को भारत द्वारा राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया था।

MHA

3. भारत को किन कारणों, नियमों तथा आधारों के तहत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाया गया।
4. राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा होने पर भारत को होने वाले लाभ का ब्यौरा दें।
5. किन देशों को राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बनाया जा सकता है।

यदि मांगी गयी सूचना आपके विभाग / कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचनाधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएँ।

प्रार्थी द्वारा सभी प्रतिलिपियों का बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान कर दिया जाएगा।

प्रार्थी,

नाम - शुभम गुप्ता पुत्र श्री शशिकांत गुप्ता

पता - 346 रामनगर, गली नं - 4, कंकरखेड़ा मेरठ कैन्ट, यू.पी.

मोबाईल - 9456040100

ई-मेल: SHUBHAMKOSAL@GMAIL.com

49920
08/08 16
13/08/16

Date - 03/08/2016

IPO No. 34F 697732 रु 10/-

4458333